भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 551

(दिनांक 12.04.2017 को उत्तर के लिए)

आईएएस व आईपीएस अधिकारियों की गिरफ्तारी

***551. श्री रामा किशोर सिंह :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) तथा भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के कुछ अधिकारियों को उनके विरूद्ध दर्ज किए गए विभिन्न मामलों के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) से (ग) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 12.04.2017 को पूछे गए तारांकित प्रश्न सं. 551 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (ख) : राज्य सरकारों और गृह मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 2014 से अब तक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 तथा अन्य आपराधिक प्रावधानों के अंतर्गत और न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के उपरांत विभिन्न राज्य संवर्गों में सेवारत 19 भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों और 05 भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष (31 मार्च, 2017 तक की स्थिति अनुसार) के दौरान गिरफ्तार किए गए ऐसे आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के ब्यौरे अनुलग्नक-I में दिए गए हैं।

(ग) : अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 2(क) में यह प्रावधान किया गया है कि इस सेवा का कोई सदस्य जिसे चाहे आपराधिक मामलों अथवा अन्य आरोपों के लिए 48 घंटे से अधिक की अवधि के लिए शासकीय हिरासत में रखा गया हो उसे, संबंधित सरकार द्वारा निलंबित किया गया माना जाएगा। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को मनमाने ढंग से निलंबन से सुरक्षा प्रदान करने हेतु दिनांक 21.12.2015 की अधिसूचना के माध्यम से अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 में संशोधन किए गए थे। इसके पश्चात, मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों में तैनात अखिल भारतीय सेवा (एआईएस) अधिकारियों के निलंबन के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को दिनांक 25.05.2016 के का.ज्ञा. के माध्यम से जारी किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ (i) 48 घंटे के भीतर निलंबन से जुड़ी जानकारी सूचित करने (ii) 15 दिन के भीतर निलंबन के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट देने तथा (iii) 30 दिनों के पश्चात केन्द्र सरकार द्वारा निलंबन की पुष्टि करने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं।

अखिल भारतीय सेवा (एआईएस) के सदस्यों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियों को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए, अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 को दिनांक 20.01.2017 की अधिसूचना के माध्यम से हाल ही में संशोधित किया गया है ताकि आरोप-पत्र के संबंध में आरोपी अधिकारी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने, जांच पूरी करने और संघ लोक सेवा आयोग की सलाह पर अधिकारी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने जैसे जांच के विभिन्न चरणों के लिए विशिष्ट समय-सीमा का प्रावधान किया जा सके। इन संशोधनों के पश्चात, सरकार द्वारा दिनांक 15.03.2017 के पत्र के माध्यम से विभागीय कार्यवाहियों को समय पर पूरा करने संबंधी नियमों का पालन करने के संबंध में दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं।

इसके अलावा, भ्रष्टाचार के मामलों के संबंध में न्यायालय द्वारा सेवा के सदस्य का दोषसिद्ध हो जाने पर सेवा से हटाने/बर्खास्तगी का दंड देने हेतु अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 14 के अंतर्गत् विशेष प्रक्रिया शुरू की जाती है।

लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 551 के संबंध में अनुलग्नक-I

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष (31.3.2017 तक की स्थिति अनुसार) के दौरान गिरफ्तार किए गए आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा

राज्यसंवर्ग/	आईएएस अधिकारियों की संख्या				आईपीएस अधिकारियों की संख्या			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
एजीएमयूटी संवर्ग	-	1	1	-	-	-	-	-
असम	-	1	-	-	-	-	-	-
आंध्र प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-
बिहार	-	-	1	1	-	-	-	-
छत्तीसगढ़	-	-	-	1	-	-	-	-
गुजरात	1	-	-	-	-	-	1	-
हरयाणा	-	-	1	-	-	-	-	-
हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-
जम्मू और कश्मीर	-	-	-	-	-	-	-	-
झारखंड	-	-	-	-	-	-	-	-
कर्नाटक	-	-	-	-	-	-	-	-
केरल	-	-	-	-	-	-	-	-
मध्य प्रदेश	-	-	-	-	1	-	-	-
महाराष्ट्र	-	1	-	-	-	-	-	-
मणिपुर	-	-	-	-	-	-	-	-
मेघालय	-	-	-	-	-	-	-	-
नागालैंड	-	-	-	-	-	-	-	-
उड़ीसा	1	-	-	1	-	-	-	-
पंजाब	-	-	-	-	-	-	-	-
राजस्थान	1	2	-	-	1	-	-	-
सिक्किम	-	-	-	-	-	-	-	-
तमिलनाडु	-	-	-	-	1	-	-	-
तेलंगाना	-	-	-	1	-	-	-	-
त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-	1	-
उत्तर प्रदेश	-	-	2	-	-	-	-	-
उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-	-	-
पश्चिम बंगाल	-	1	1	-	-	-	-	-
कुल	**3**	**6**	**6**	**4**	**3**	**0**	**2**	**0**
	19 **आईएएस अधिकारी**				5 **आईपीएस अधिकारी**			

******